



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2388]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 27, 2018/आषाढ़ 6, 1940

No. 2388]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 27, 2018/ASHADHA 6, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 26 जून, 2018

**का.आ. 3137(अ).**—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप-धारा के तहत दिनांक 09.04.2018 को पीडी-12002/03/2018-कोफेपोसा के तहत जारी आदेश में यह निर्देश दिया गया था कि श्री पंकज कुमार शर्मा, सुपुत्र श्री यशवंत कुमार शर्मा, निवासी गाँव-मोहालिया, बालूघाट ब्रह्मस्थान, मुजफ्फरपुर, पोस्ट-मुजफ्फरपुर, पी. एस- मुजफ्फरपुर शहर, जिला- मुजफ्फरपुर-842001 (बिहार) को हिरासत में लिया जाए और बिहार केन्द्रीय कारागार, पटना में रखा जाए ताकि उन्हें माल की तस्करी करने, तस्करी का माल लाने ले जाने या रखने तथा भाविष्य में तस्करी के माल का धंधा करने से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का तामील न किया जा सके।

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस महानिदेशक, बिहार सरकार, पटना के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. पीडी-12002/03/2018-कोफेपोसा]

महेश कुमार रुस्तोगी, अपर महानिदेशक (ईआई-1)

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
**(Central Economic Intelligence Bureau)**  
**(COFEPOSA WING)**

**ORDER**

New Delhi, the 26th June, 2018

**S.O. 3137(E).**—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order No. PD-12002/03/2018-COFEPOSA dated 09.04.2018 under the said sub-section directing that Shri Pankaj Kumar Sharma, S/o Shri Yashwant Kumar Sharma, R/o Village-Mohalia, Balughat Brahmsthan, Muzaffarpur, Post-Muzaffarpur, P.S-Muzaffarpur Town, District-Muzaffarpur – 842001 (Bihar), be detained and kept in Beur Central Jail, Patna with a view to preventing him from smuggling goods, engaging in transporting or keeping of smuggled goods and dealing in smuggled goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Government of Bihar, Patna within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. PD-12002/03/2018-COFEPOSA]

MAHESH KUMAR RUSTOGI, Addl. Director General (EI-I)